UPBJ120024282026

<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर, बिजनौर</u>
सरकार बनाम राजीव कुमार
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–522/2026
मु०अ०सं०– 421/2026
धारा– 281, 106(1) बी०एन०एस०
थाना– चाँदपुर, बिजनौर।
<u>दिनांक 23–07–2026</u>

प्रार्थी **राजीव कुमार पुत्र कैलाश चन्द** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–**421/2026,** अन्तर्गत धारा– **281, 106(1) बी०एन०एस०** थाना **चाँदपुर,** जिला बिजनौर में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त है तथा प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में गलत तौर से मुल्जिम बनाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष की कहानी झूठे व मनघडंत तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय होने का कथन किया गया है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर जिस अपराध का अभियोग है वह मजिस्ट्रेट विचारणीय है तथा सात वर्ष से कम के दण्ड से दण्डनीय है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले पर गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **राजीव कुमार पुत्र कैलाश चन्द,** मु०अ०सं०–**421/2026**, अन्तर्गत धारा– **281, 106(1) बी०एन०एस०**, थाना **चाँदपुर**, जनपद बिजनौर द्वारा 25,000/–रूपये की एक प्रतिभू व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

अरूण कुमार राणा
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर
बिजनौर
J.O.CODE–UP3660

Digitally signed by ARUN KUMAR RANA
Date: 2026.07.23 16:30:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court